UPBJ010018612018

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408

लघुवाद सं0–03/2019

मु0 आरफा खातून बनाम इस्तेखार

आदेश

12–01–2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र ग–56 एवं आपत्ति कागज सं0 ग–58 पर सुना। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में वादनी द्वारा जाली फर्जी बनाकर और उस पर प्रतिवादी के नाम के बताकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कथित किरायानामा तहरीर यादाश्त दाखिल की है। जिस पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर होने से प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में स्पष्ट इन्कार किया गया है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा उक्त हस्ताक्षरों की बाबत न्यायालय में एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी भी उक्त प्रपत्र कथित तहरीर यादाश्त/किरायानामा ग–7 पर हो रहे प्रतिवादी के कथित हस्ताक्षरों तथा प्रतिवादी के न्यायालय के रूबरू स्वीकृत हस्ताक्षरों की बाबत एक्सपर्ट रिपोर्ट दाखिल करना चाहता है। जिसकी अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। नमूना हस्ताक्षर न्यायालय में प्रतिवादी के दिये गये है जो पहले से ही पत्रावली पर मौजूद हैं। इन कथनो के साथ वादी द्वारा दाखिल कथित यादाश्त तहरीर ग–7 पर प्रतिवादी के बताकर किये गये कथित हस्ताक्षर तथा न्यायालय में कराये गये नमूना हस्ताक्षरों के फोटोग्राफ्स एक्सपर्ट द्वारा लेने की अनुमति दी जाकर एक्सपर्ट को उक्त हस्ताक्षरों का मिलान कर रिपोर्टे दाखिल करने की अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति कागज सं0 ग–58 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने गलत आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी का बयान जो उसने मूलवाद सं0 164/2017 इस्तेखार बनाम आरफा बेगम न्यायालय सिविल जज जू0डि0 बिजनौर में दिया, की सत्यप्रति दाखिल की है। जिसमें उसने प्रश्नगत यादाश्त तहरीर पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा दिनांक 25–12–1998 को वादनी से किराये पर लेना भी स्वीकार किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी गलत आधार पर तहरीर पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार कर रहा है। वादनी ने न्यायालय के समक्ष दो बार प्रतिवादी को अपने नमूना हस्ताक्षर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर करने

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.01.12 16:55:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु प्रतिवादी ने दोनो बार उस पर आपित्त की। प्रतिवादी द्वारा गलत आधार पर सामान्य नियमावली के नियम 28 का पालन न करके प्रार्थना पत्र वाद को केवल विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। जो निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 03–08–2022 को वादनी का प्रार्थना पत्र ग–47 स्वीकार करते हुये फेहरिस्त सबूत ग–49 से कागज सं0 ग–50 हस्तलेख एवं अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ की आख्या पत्रावली पर शामिल मिशल करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र ग–56 के माध्यम से वादनी द्वारा दाखिल कथित यादाश्त तहरीर ग–7 पर प्रतिवादी के बताकर किये गये कथित हस्ताक्षर तथा न्यायालय में कराये गये नमूना हस्ताक्षरों के फोटोग्राफ्स एक्सपर्ट द्वारा लेने की अनुमति दी जाकर एक्सपर्ट को उक्त हस्ताक्षरों का मिलान कर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है। वादनी की ओर से प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र ग–56 निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र ग–56 न्यायहित में स्वीकार होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र ग–56 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति ग–58 निस्तारित की जाती है। प्रतिवादी को फोटोग्राफ्स एक्सपर्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वीकृत एवं विवादित हस्ताक्षरों के फोटो लिये जाने तथा फोटोग्राफ्स एक्टपर्ट द्वारा हस्ताक्षरों का मिलान कर दी गयी रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यावाही दिनांक 09–02–2022 को पेश हो।

दिनांक–12–01–2023

(हनी गोयल)
अपर जिला जज, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर